पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/20(आ0)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती
राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24/6/2025

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21(स्वी०) दिनांक 20.06.2025 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु ₹5,08,23,10,000.00 करोड़ (पाँच अरब आठ करोड़ तेईस लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेशसंख्या 21(स्वी०) दिनांक 20.06.2025 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹5,08,23,10,000.00 करोड़ (पाँच अरब आठ करोड़ तेईस लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका–04 के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹5,08,23,10,000.00 करोड़ (पाँच अरब आठ करोड़ तेईस लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या 16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से निम्नरूपेण बजट शीर्षो से की जायेगी :–

राशि रूपये में

मद	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	कुल आवंटित राशि
जिला परिषद्	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान" विपत्र कोड–16-2515001960007	"0007.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	762346500.00

P.T.O

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\Estb & Commit Exp\6th SFC 2025-26\Letter.docx 131

पंचायत समिति	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0004–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान" विपत्र कोड–16-2515001970004	"0004.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	762346500.00
ग्राम पंचायत	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" विपत्र कोड–16-2515001980009	"0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	3557617000.00
कुल : (पाँच अरब आठ करोड़ तेईस लाख दस हजार रूपये) मात्र			**5082310000.00**

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) के P/L Account No–PTSPLA011 में अंतरित करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस स्वीकृत राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 214 दिनांक 06.03.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

P.T.O

11. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

12. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या ....44..../टि० पर दिनांक ....24/06/25.......... को प्राप्त है।

14. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/ 2013(17) /पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), लेखापाल, रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड) 2013(17) पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 5प / स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05 / 2021 (खंड) / 2905 / पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/6/25

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\Estb & Commt Exp\6th SFC 2025-26\Letter.docx 134